

**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 456/2025

श्री प्रवीण नायक पुत्र रणजीत नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला, वार्ड नं० 12, मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला

झुंझुनूं  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 27.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 456/2025 पर दिनांक 31.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4805-806 दिनांक 31.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025 /1448 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपलार्थी श्री प्रवीण नायक पुत्र रणजीत नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला, वार्ड नं० 12, मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/320 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी की ओर से वकील श्री कुर्बान अली उपस्थित। वकील प्रार्थी ने सूचना नहीं मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025 /1448 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपलार्थी श्री प्रवीण नायक पुत्र रणजीत नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला, वार्ड नं० 12, मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/320 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को चाही गई सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ० अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं